(18)

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2013/आषाढ़ 11, 1935
No. 323] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2013/ASADHA 11, 1935

गृह मंत्रालय

(पुलिस-II प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 451(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 34) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में समूह "ख" के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, निरीक्षक और उप निरीक्षक (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
1	2	3	4
1. निरीक्षक	62* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.

वयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
5	6
चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
9	10	11
लागू नहीं होता	(क) 55 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (ख) 45 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा ।	**प्रोन्नति** : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में ऐसे उप निरीक्षक जिन्होंने वेतन बैंड- 2 में 9300-34,800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। ऐसे अधिकारी जो छह सप्ताह का अन्वेषण या आसूचना से संबंधित प्रक्रिया में वृत्तिक प्रशिक्षण लिया है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

		टिप्पण - 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी :- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड : 2, 9300-34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू. के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में बैचलर डिग्री; और (ii) आपराधिक मामलों या आसूचना कार्य या संक्रिया या सूचना प्रौद्योगिकी मामलों या प्रतिआंतकवाद में प्रशिक्षण के मामलों के अन्वेषण करने का दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण** 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण** 2 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1	2	3
2. उप निरीक्षक	59* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4	5	6
वेतन बैंड - 2 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है !) **टिप्पण** - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8
सीधी भर्ती के लिए : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में स्नातक । 2. शारीरिक मानदंड : (क) उँचाई : पुरूषों के लिए - 170 सें.मी. महिलाओं के लिए - 150 सें.मी. **शिथिल करने के लिए** : असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के पहाड़ी और जनजाति अभ्यर्थियों के लिए - 5 से.मी. (ख) सीना : फुलाकर 76 से.मी. (महिला अभ्यर्थियों की दशा में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होगी ।) आंखों की दृष्टि (चश्मा सहित या चश्मा के बिना) :- (i) दूर दृष्टि : 6/6 एक आंख की और 6/9 दूसरी आंख की । (ii) निकट दृष्टि : 0.6 एक आंख की और 0.8 दूसरी आंख की । **टिप्पण 1** : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ! **टिप्पण 2** :- अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	नहीं

9	10	11
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(क) 50 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (ख) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (ग) 10 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा ।	**प्रोन्नति** : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में ऐसे सहायक उप-निरीक्षक जिन्होंने वेतन बैंड-1 में 5200-20,200 रु० + ग्रेड वेतन 2800 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की है । ऐसे अधिकारी जो छह सप्ताह का अन्वेषण या आसूचना से संबंधित प्रक्रिया में वृत्तिक प्रशिक्षण लिया है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण** 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी :- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 1, 5200–20,200 रु० + ग्रेड वेतन 2800 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में बैचलर डिग्री; और (ii) आपराधिक मामलों या आसूचना कार्य या संक्रिया या सूचना प्रौद्योगिकी मामलों या प्रतिआंतकवाद में प्रशिक्षण के मामलों के अन्वेषण करने का दो वर्ष का अनुभव ।

2920 GI/13-2

		टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ई-13(2)/006/2012/रा.अ.अ. (पीटी-4)]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(POLICE-II DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2013

G.S.R. 451(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' posts in the National Investigation Agency under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency Inspector and Sub-Inspector (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible to be appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Inspector	*62 (2013) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group – 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -2, Rs. 9300 – 34,800 with Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
Not applicable	(a) 55% by promotion failing which by deputation.	**Promotion :** Sub-Inspector in National Investigation Agency	**Group 'B' Departmental Promotion Committee** (for	Consultation with Union Public Service Commission necessary

	(b) 45% by deputation/ absorption	with five years' regular service in the pay Band-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200. The officer being considered for promotion should have undergone professional training in investigation or intelligence related procedure for six weeks. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation/Absorption** : Officers of the Central Government or State Government or Union Territories : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band -2 Rs. 9300-34800 with grade	**considering promotion) consisting of** – 1. Inspector General, National Investigation Agency – Chairman. 2. Deputy Inspector General, National Investigation Agency - Member 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency – Member.	while appointing an officer on deputation or absorption.

		pay Rs. 4200 in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised university; and (ii) two years' experience in handling of cases of investigation of criminal cases, or intelligence work or operations or Information Technology cases or Training in counter terrorism. **Note 1.**- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion. (Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note 2.**- For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission		

2920 GI/13-3

		except where there has been merger or more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Sub-Inspector	*59 (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group – 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -2, Rs. 9300 – 34,800 with Grade pay of Rs. 4200	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government.) **Note.–** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	For direct recruitment: 1. Graduate in any discipline from a recognized university. 2. Physical standard:- (a) Height:- For men – 170 Cms. For women – 150 Cms. Relaxable for : Hillman and Tribal those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep– 5 Cms (b) Chest: 76 Cms with expansion (There shall be no such requirement in case of female candidates). **Vision** Eye sight (with or without glasses) :- (i) Distant Vision: 6/6 in one and 6/9 in the other eye. (ii) Near vision: 0.6 in one eye and 0.8 in other eye. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes of Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them	No

9	10	11	12	13
Two years for direct recruits and promotees.	(a) 50% by direct recruitment through Staff Selection Commission failing which by eputation. b) 40% by promotion failing which by deputation. c) 10% by deputation/ absorption	**Promotion:–** Assistant Sub-Inspector in National Investigation Agency with six years regular service in the Pay band-1 of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800/- The officer being considered for promotion should have undergone professional training in investigation or intelligence related procedure for six weeks. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.-** For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation/Absorption** Officers of the Central Government or State Government or Union territories :- (a) (i) holding	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of – 1. Inspector General, National Investigation Agency —Chairman 2. Deputy Inspector General, National Investigation Agency —Member 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency — Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation or absorption.

2920 GI/13-4

		analogous posts in regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band -1 of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800 in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised university; and (ii) experience of two years in handling of cases of investigation of criminal cases, or intelligence work or operations or Information Technology cases or Training in counter terrorism. **Note 1.–** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note 2.**-For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior		

		to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger or more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation		

[F. No. E-13(2)/006/2012/NIA (Pt.-VI]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.